भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 843

दिनांक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीमा संबंधी मुद्दों पर भारत-चीन समझौता

† 843. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

श्रीमती लवली आनंदः

श्री सुनील कुमारः

श्री रामप्रीत मंडलः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अब तक हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है क्योंकि सीमा विवाद देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और चीन के साथ व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं;

(ख) क्या वार्ताओं के बाद भी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से ग) दोनों देशों के बीच भारत-चीन सीमा से संबंधित निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

i. भारत गणराज्य सरकार और चीन जनवादी गणराज्य सरकार के बीच भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और शांति बनाए रखने के लिए 7 सितंबर 1993 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ii. भारत गणराज्य सरकार और चीन जनवादी गणराज्य सरकार के बीच भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों के लिए 29 नवंबर 1996 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।

iii. भारत गणराज्य सरकार और चीन जनवादी गणराज्य सरकार के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के संबंध में प्रोटोकॉल पर 11 अप्रैल 2005 को हस्ताक्षर किए गए।

iv. भारत गणराज्य सरकार और चीन जनवादी गणराज्य सरकार के बीच भारत-चीन सीमा संबंधी समाधान के लिए राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में 11 अप्रैल 2005 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।

v. भारत गणराज्य सरकार और चीन जनवादी गणराज्य सरकार के बीच भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में परामर्श और समन्वय हेतु एक कार्य तंत्र की स्थापना के लिए 17 जनवरी 2012 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।

vi. भारत गणराज्य सरकार और चीन जनवादी गणराज्य सरकार के बीच सीमा संबंधी रक्षा सहयोग के लिए 23 अक्टूबर 2013 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।

अप्रैल/मई 2020 से चीनी पक्ष ने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर यथास्थिति को एकपक्षीय रूप से परिवर्तित करने के अनेक प्रयास किए। इन प्रयासों का हमारे सशस्त्र बलों द्वारा समुचित जवाब दिया गया। इन कार्रवाइयों से पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर अमन और शांति भंग हुई है। तभी से भारत सरकार ने सभी घर्षण बिंदुओं से सेना पीछे हटाने और भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक और सैन्य माध्यमों द्वारा चीनी पक्ष के साथ वार्ता की है।

भारत और चीन ने 21 अक्टूबर 2024 को देपसांग और डेमचोक में भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था संबंधी करार संपन्न किया, जिसके परिणामस्वरूप 2020 के सभी घर्षण बिंदुओं से सेना पीछे हटाई गई। इस करार में सहमति हुई है कि इन दोनों क्षेत्रों में घर्षण शुरू होने से पहले लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार गश्त गतिविधियाँ और, जहाँ भी लागू हो, चराई फिर से शुरू की जाए। तदनुसार इस करार को प्रभावी किया गया है और सहमत तौर-तरीकों एवं समयसीमा के अनुसार इसे लागू किया गया है। 21 अक्टूबर 2024 से पहले सेना पीछे हटाने के संबंध में संपन्न करार की शर्तें पूर्वी लद्दाख के संबंधित क्षेत्रों में लागू रहेंगी।

*****